न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)
मुकदमा नम्बर :– 199/2019

GCMS NO. 2019/00996

1. राजेश कुमार पुत्र सतीश जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. कमला पत्नी सतीश जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

..................वादीगण

– ब ना म –

1. कमलसिंह पुत्र श्योपाल
2. भोमसिंह पुत्र दयाराम
3. रंगलाल पुत्र जीताराम
4. रामचन्द्र पुत्र जीताराम
5. रिछकोर पत्नी स्व. श्योपाल
6. हेमराज पुत्र दयाराम
7. हरिसिंह पुत्र श्योपाल
8. जमना पुत्री प्रभातीलाल
9. जयसिंह पुत्र प्रभातीलाल
10. महेन्द्र सिंह पुत्र प्रभातीलाल
    जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
11. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिंघाना।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

.... प्रतिवादीगण

दावा – खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्रीमती पूनम डूडी — अभिभाषक — वादीगण

–: निर्णय :– **दिनांक :– 18.03.2025**

1. उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 05.07.2022 को पारित कर तहसीलदार बुहाना को इस आशय की तहरीर जारी की गई कि वाद वादीगण स्वीकार कर बाके ग्राम मोई भारू पटवार हल्का भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि खाता संख्या 76 खसरा नम्बर 66 रकबा 3.0 हेक्टेयर, खाता संख्या 77 खसरा नम्बर ... हेक्टेयर व खाता संख्या 78 में खसरा नम्बर 29 रकबा 3.41 हेक्टेयर में वादीगण का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

को 1000/– रूपये के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों संबंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को मध्य नजर रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पक्षकारान को सूचित कर यथाशीघ्र भिजवायें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित पक्षकारान को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के पक्ष में दर्ज किया जावे।

2. तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक भू.अ./वि.प्र./2024/2332 दिनांक 10.09.2024 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।
3. तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.09.2024 (मौका रिपोर्ट दिनांक 30.08.2024) का अधिवक्ता वादीगन को अवलोकन कराया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता वादीगण एक पक्षीय सुनी गई।
4. अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार बुहाना के द्वारा वादीगण के पक्ष में विभाजन प्रस्ताव सही तैयार किया गया है। इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वादीगण का वाद अंतिम डिक्री कर दिया जावे।
5. पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.09.2024 (मौका रिपोर्ट दिनांक 30.08.2024) का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया व प्रलेखीय दस्तावेजात् का आद्योपान्त परीक्षण किया गया तथा अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से पाया कि उक्त विभाजन प्रस्ताव क्षेत्राधिकार के अनुसार राजस्व अधिकारी उप तहसीलदार सिंघाना के द्वारा दिनांक 30.08.2024 को पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06–11–2004 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप राजस्व अधिकारी उप तहसीलदार सिंघाना के द्वारा दिनांक 30.08.2024 को तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ–6' व 'ब') के अनुसार वाद वादीगण अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

7. अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.09.2024 (मौका रिपोर्ट दिनांक 30.08.2024) (प्रदर्श–'अ–1 से अ–6' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ–6' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक प्रदर्श–'ब' के ... का सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:15 IST
Reason: Self Attested

8. निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)

1. राजेश कुमार पुत्र सतीश जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. कमला पत्नी सतीश जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

....................**वादीगण**

– ब ना म –

1. कमलसिंह पुत्र श्योपाल
2. भोमसिंह पुत्र दयाराम
3. रंगलाल पुत्र जीताराम
4. रामचन्द्र पुत्र जीताराम
5. रिछकोर पत्नी स्व. श्योपाल
6. हेमराज पुत्र दयाराम
7. हरिसिंह पुत्र श्योपाल
8. जमना पुत्री प्रभातीलाल
9. जयसिंह पुत्र प्रभातीलाल
10. महेन्द्र सिंह पुत्र प्रभातीलाल
    जाति जाट निवासी मोई भारू तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
11. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिंघाना।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

.... प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा बाबत :– खाता विभाजन अन्तर्गत धारा, 53 आर.टी.एक्ट 1955
मुकदमा नम्बर :– 199/2019
GCMS NO. 2019/00996
निर्णय दिनांक :– 18.03.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:15 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से **श्रीमती पूनम डूडी एडवोकेट** [illegible] प्रतिवादीगण की ओर से **कोई नहीं** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.03.2025 को **श्रीमती सुमन देवी (RAS) उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

...es (Civil) . 1...

"वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.09.2024 (मौका रिपोर्ट दिनांक 30.08.2024) (प्रदर्श–'अ–1 से अ–6' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ–6' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **18.03.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:15 IST
Reason: SelfAttested